न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 82/2013
उनवान मुकदमा

1. ईश्वर पिता दला कटारा जाति भील निवासी ग्राम मेन्दिया कटारा पटवार हल्का वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)

—वादी

बनाम

1. कचरू पिता मानजी कटारा जाति भील उम्र वयस्क
2. सुर्या पिता मानजी कटारा जाति भील उम्र वयस्क
3. विकास पिता मानजी कटारा जाति भील उम्र वयस्क
4. भुली बेवा मानजी कटारा जाति भील उम्र वयस्क
5. प्रभु पिता धुलिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क
6. रावजी पिता धुलिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क
7. कैला पिता धुलिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क
8. मीरा पिता धुलिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क
   निवासीयान ग्राम मेन्दिया कटारा, पटवार हल्का वीरपुर, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. तहसीलदार तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट

वादी अधिवक्ता :— श्री नरेन्द्र सिंह झूला
प्रतिवादीगण अधिवक्ता :— श्री नन्दलाल पुरोहित

निर्णय

दिनांक :— 24.08.2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है । प्रस्तुत वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक के संयुक्त के संयुक्त खातेदारी और काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 2 नया, 2 पुराना के खसरा संख्या 8 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 5.09 बीघा, खसरा संख्या 44 रकबा 5.16 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 3.06 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 10.02 बीघा, खसरा संख्या 71 रकबा 3.01 बीघा, खसरा संख्या 88 रकबा 1.02 बीघा, खसरा संख्या 89 रकबा 1.15 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 1.17 बीघा, खसरा संख्या 127/66 रकबा 3.06 बीघा कुल खसरा नग 10, कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा, वाके ग्राम मेन्दिया कटारा, पटवार हल्का वीरपुर, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है तथा उक्त आराजीयात पर वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

उक्त संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि में वादी का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का 1/2 भाग निहित है, जिसकी पुष्टि नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 से होती है। जिसमें मूल पुरूष वेलजी की दो संताने धुलिया व दला थी तथा धुलिया के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 धुलिया की जीवित संतान होकर वारिसान है तथा दला के फौत होने पर वादी ईश्वर उसकी एकमात्र जीवित संतान होकर वारिसान है एवं वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

अपने हक, हित व हिस्से के अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर लगान अदा कर रहे है। वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की वंशावली निम्नानुसार है :–

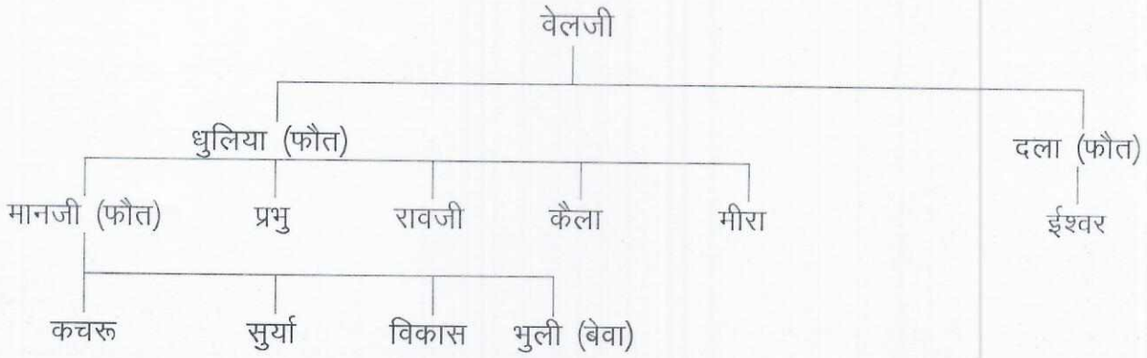

वादी और प्रतिवादी 1 लगायत 8 के मध्य उपरोक्त खाते कृषि भूमि खाता संख्या 2 नया 2 पुराना के के खसरा संख्या 8 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 5.09 बीघा, खसरा संख्या 44 रकबा 5.16 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 3.06 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 10.02 बीघा, खसरा संख्या 71 रकबा 3.01 बीघा, खसरा संख्या 88 रकबा 1.02 बीघा, खसरा संख्या 89 रकबा 1.15 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 1.17 बीघा, खसरा संख्या 127/66 रकबा 3.06 बीघा कुल खसरा नग 10, कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा, वाके ग्राम मेन्दिया कटारा, पटवार हल्का वीरपुर, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित में अपने अपने हिस्से व कब्जे को लेकर हमेशा विवाद होने से वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि अर्थात सम्पूर्ण खाते में से 1/2 हिस्से के भाग में सुधार नहीं कर पा रहा है और न ही रूपान्तरण करवा पा रहा है। अतः वादी अपने भाग का खाता पृथक पृथक करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को जुन 2013 के पहले सप्ताह में निवेदन करने पर वह बंटवारा करने से मना कर रहे है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 कहते है कि तुम्हे बंटवारा कराना है तो न्यायालय से करा लो, जिस कारण यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है।

वाद का व्यवहार कारण माह जुन 2013 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा लिखित में बंटवारा न करने से अदालत हाजा में उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 9 भूमिधारी होने से वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

वादी ने निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार कर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण कृषि भूमि खाता संख्या 2 नया 2 पुराना के के खसरा संख्या 8 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 5.09 बीघा, खसरा संख्या 44 रकबा 5.16 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 3.06 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 10.02 बीघा, खसरा संख्या 71 रकबा 3.01 बीघा, खसरा संख्या 88 रकबा 1.02 बीघा, खसरा संख्या 89 रकबा 1.15 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 1.17 बीघा, खसरा संख्या 127/66 रकबा 3.06 बीघा कुल खसरा नग 10, कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा, वाके ग्राम मेन्दिया कटारा, पटवार हल्का वीरपुर, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित में वादी का 1/2 हिस्से की भूमि के विभाजन की डिक्री सादिर फरमावे। पृथक पृथक खाता कायम कर लगान का विभाजन करने हेतु प्रतिवादी संख्या 9 को डिक्री जारी की जावे।

फर्द दस्तावेजात में वर्तमान जमाबन्दी संवत 2068–71, पास बुक की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

दिनांक 20.06.2014 को वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में टंकन त्रुटि से वेजली की दो संताने धुलिया व दला होना टंकित हो गया जबकि वेलजी की सन्तान दला है तथा धुलिया के पिता हालु नाम है जो कि वाद में अंकित करना आवश्यक है। वाद की चरण संख्या 2 में वादी व प्रतिवादीगण का सजरा निम्नानुसार है :–

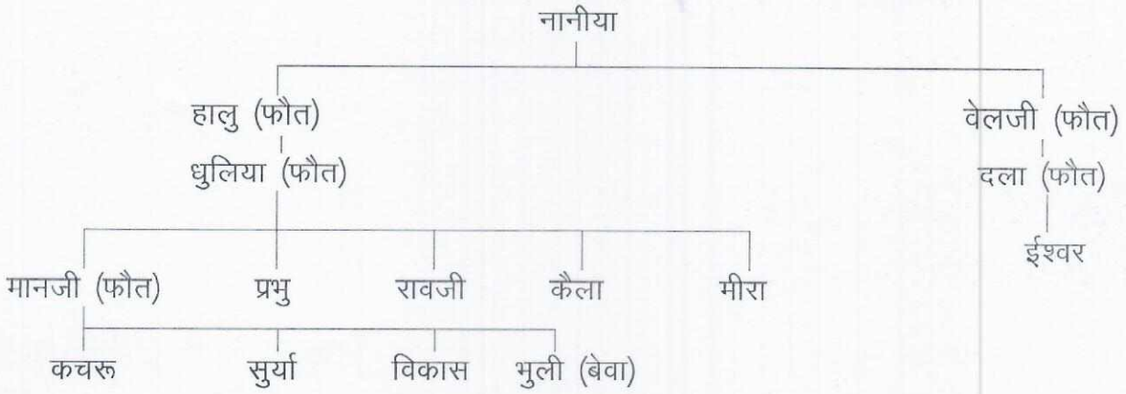

वाद प्रारम्भिक स्टेज पर है तथा संशोधन से वाद पर विपरित असर नही पडता है। वाद पत्र में संशोधन के आदेश फरमाने निवेदन किया।

दिनांक 06.04.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पर प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसमें बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार है प्रार्थी ने जानबुझकर अलग तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबील खारजी है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित वंशावली गलत बतायी गई है। नानीया के प्रार्थी ने दो पुत्र वेलजी व हालु बताये है जब कि, नानीया के चार पुत्र क्रमशः कालु (फौत), हाला उर्फ हालु (फौत), वेलजी (फौत), वाहलेंग (फौत) है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण एक से लगायत आठ की ओर दिनांक 08.11.2014 को जवाब प्रस्तुत हुआ। उपर्युक्त विवादग्रस्त भूमि में एक खातेदार प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ तक है। वादी का उपरोक्त खेतों में कोई हक, अधिकार नही है। वाद पत्र की कलम नम्बर 2 अस्वीकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त खाते की नही है बल्कि प्रतिवादीगण एक मात्र उक्त खाते के मालिक है। नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 अवैधानिक होकर गलत है क्योंकि वेलजी के एक मात्र संतान दला है तथा वादी दला का पुत्र है। धुलिया, वेलजी का पुत्र नही होकर हाला पिता नानीया का पुत्र है। वादी द्वारा जो वंशावली वाद–पत्र की कलम नंबर दो में दर्शायी गई है वह गलत है और सही वंशावली निम्नानुसार है :–

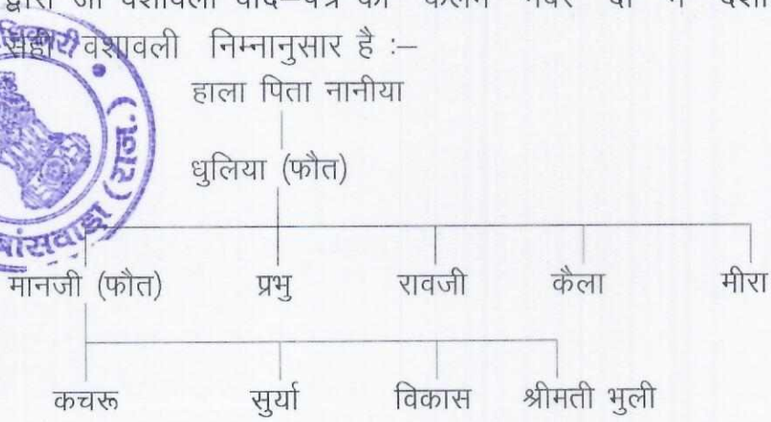

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

वादी द्वारा दर्शायी गई वंशावली गलत है और वादी के गलत वंशावली के आधार पर उक्त खाते में जरिये नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 को अपना नाम दर्ज करवाया है जो कि, गैरकानूनी होकर काबील खारजी के है।

वाद पत्र की कलम नंबर तीन अस्वीकार है। वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे में होकर प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ उक्त कृषि भूमि पर काबीज होकर काश्त करते हुए आ रहे है और वादी द्वारा उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नही की है। इसलिये वादी उक्त खाते में बंटवारा कराने का कोई अधिकार नही रखता है। सम्पूर्ण खाता प्रतिवादीगण के दादा एवं पिता हाला पिता नानीया का पैत्रक है वेलजी का उक्त खाते में कोई हक व अधिकार नही है और न ही धुलिया वेलजी का पुत्र है। धुलिया के पिता का नाम हाला है और हाला का एक मात्र पुत्र धुलिया था। लेकिन वादी ने गलत वंशावली के आधार पर उक्त खाते में अपना नाम दर्ज कराया है जो काबील निरस्तीय है।

वाद पत्र की कलम नंबर चार, पॉच, छह, आठ, दस अस्वीकार है। कलंम नंबर सात कानूनी है। कलम नंबर नौ वादी साबित करे।

काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया जिसमें बताया कि खसरा संख्या 8, 34, 44, 56, 62, 71, 88, 99, 104, 127/66 कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम मेदिया कटारा, पटवार हल्का वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान स्थित के प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ एक मात्र खातेदार कृषक है और उक्त खाते में वादी का कोई हक, व अधिकार नही है वादी ने गलत वंशावली बताकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 अपना नाम दर्ज करवा लिया है जब कि, वादी द्वारा वाद–पत्र में दर्शायी गई वंशावली के अनुसार वेलजी के दो पुत्र धुलिया व दला नही होकर वेलजी का एक मात्र पुत्र दला है और वादी उसका पुत्र है धुलिया के पिता का नाम हाला पिता नानीया है तथा प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ धुलिया पिता हाला की संताने है तथा उक्त सेटलमेन्टी खाता भी हाला पिता नानीया का है उक्त खाते में दला पिता वेलजी का कोई हक व अधिकार नही है दला पिता वेलजी का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है प्रतिवादीगण एवं वादी अलग–अलग वंशज के है और उनका कोई रक्त संबंध नही है इसलिए उक्त खाते में वादी को कोई हक व अधिकार नही है और न ही वादी का कभी कोई कब्जा रहा है इसलिए वादी को बंटवारे का दावा लाने का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त खाते के एक मात्र खातेदार प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ है। इसलिये उक्त खाते में से वादी का नाम हटाये जाना आवश्यक है।

नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 गैर कानूनी होकर काबील निरस्ती है क्योंकि उक्त नामान्तकरण में गलत वंशावली बताकर वादी ने अपना नाम दर्ज कराया है जो काबील निरस्ती है। उक्त खाते में प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ अपने बाप दादाओं के समय से काश्त करते हुए आ रहे है और वादी ने भी कभी भी कोई काश्त नही की है और न ही मौके पर वादी का कोई कब्जा है। वादग्रस्त कृषिभूमि में प्रतिवादीगा के कई वर्षो से मकान बने हुए है और उस पर अपने परिवार सहित निवास कर रहे है।

वादीगण का वाद निरस्त फरमाया जा कर खेत नंबर कि खसरा संख्या 8, 34, 44, 56, 62, 71, 88, 99, 104, 127/66 कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम मेदिया कटारा, पटवार हल्का वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान स्थित का प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ को खातेदार कृषक घोषित फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

तथा उक्त खाते में से वादी का नाम कलमजन किया जावे एवं नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 को गैर कानूनी होकर निरस्त फरमाया जावे।

फर्द दस्तावेज में नकल खतौनी सेटलमेन्ट 1944–45, नकल खतौनी सेटलमेन्ट 1944–45, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2003 से 2009, नकल खसरा संवत 2000, नकल खसरा संवत 2003 से 2009, नकल खसरा संवत 2003 से 2009, नकल खसरा संवत 2007 से 2010 तक, नकल खसरा संवत 2007 से 2010 तक, नकल खसरा संवत 2007 से 2010 तक, नकल खसरा 2007, नकल खसरा 2007, नकल खसरा संवत 2007 से 2010, नकल खसरा संवत 2007 से 2010, नकल खसरा संवत 2007 से 2010, नकल खसरा संवत 2001 से 2011, नकल खसरा संवत 2012 से 2014, नकल खसरा संवत 2012 से 2014, नकल खसरा संवत 2011 से 2014, नकल खसरा संवत 2011 से 2014 आदि पेश किये है।

दिनांक 10.02.2015 को काउण्टर क्लेम का जवाब पेश हुआ। जवाब में बताया कि प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम के पेरा संख्या 1 अस्वीकार होकर खसरा खसरा संख्या 8, 34, 44, 56, 62, 71, 88, 99, 104, 127/66 कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम मेदिया कटारा, पटवार हल्का वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान स्थित में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एक मात्र खातेदार होना अस्वीकार है। वस्तुतः उपर्युक्त खसरान में वादी का 1/2 हक हित व हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का 1/2 हक, हित व हिस्सा निहीत है जिसकी पुष्टी नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 से होती है तथा वादी के पिता दला व दला के पता वेलजी मूल पूरूष नानीया के उत्तराधिकारी होकर उपरोक्त खसरान में अपने हिस्से में आई कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करत चले आ रहे है तथा राज्य सरकार को लगान भी अदा करते चले आ रहे है। मूल पुरूष नानीया के देहवसान के पश्चात वादी के पर दादा एवं प्रतिवादीगण के परदादा क्रमशः वेलजी व हाला उर्फ हालु एवं उनके पश्चात वादी के पिता दला एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 8 के पिता धुलिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के दादा धुलिया होकर विधिवत नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 29.05.1958 दर्ज रेकार्ड होकर अपने–अपने हक हित व हिस्से पर काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण मूल पुरूष नानीया की वैद्य उत्तराधिकारी होकर उनके मध्य रक्त संबध है। इस प्रकार प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम मेनेन्टेबल नही होकर खारिज योग्य है। यह की प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम के पेरा संख्या 2 अस्वीकार है तथा नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 कानूनी रूप से वैद्य होकर सही व सत्य है तथा वादी कदीमाना समय से अपने हिस्से के हक, हित व हिस्से की 1/2 भाग पर काबीज होकर काश्त कर रहा है तथा जिसका बटवारा किया जाने हेतु वाद पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है एवं अपने हिस्से की कृषि भूमि में सुधार कर उर्वरक क्षमता बढाना चाहता है।

अतः प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम सव्यय खारिज फरमावे तथा वादी को हर्जा खर्चा व अभिभाषक शुल्क मय अन्य न्यायसंगत अनुतोष जो आप न्यायालय उचित समझे दिलाये जाने के आदेश फरमावे तथा वादी का वाद स्वीकार कर बटवारा वादी व प्रतिवादी के मध्य उपरोक्त कृषि भूमि कर कृषि भूमि के विभाजन की डिक्री सादर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

दिनांक 19.12.2014 को तनकीयात कायम के आदेश दिये गये। पत्रावली में संलग्न तनकीयात निम्नानुसार है :–

1. आया वादी और प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के खाता संख्या 2 नया 2 पुराना के खसरा संख्या 8 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 5.09 बीघा, खसरा संख्या 44 रकबा 5.16 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 3.06 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 10.02 बीघा, खसरा संख्या 71 रकबा 3.01 बीघा, खसरा संख्या 88 रकबा 1.02 बीघा, खसरा संख्या 89 रकबा 1.15 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 1.17 बीघा, खसरा संख्या 127/66 रकबा 3.06 बीघा, कुल खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 37.14 बीघा वाके ग्राम मेन्दिया कटारा पटवार हल्का वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा में स्थित होकर वादी व प्रतिवादी की पैतृक विरासती खाता होने व प्रस्तुत वंशावली अनुसार वादी 1/2 हिस्से का हकदार है।
–वादी

2. आया खाता संख्या 2 नया 2 पुराना के खसरा नंग 10 कुल रकबा 37.14 बीघा वाके ग्राम मेन्दिया कटारा पटवार हल्का वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा में वादी को कोई हक हिस्सा नही होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 खाते के मालिक है वादी द्वारा दी गई वंशावली सही नहीं होकर अस्वीकार है। –प्रतिवादी

3. आया नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 में वादी ने अपना नाम दर्ज कराया है जो गैर कानूनी होकर काबीले खारिज है व वादी का कृषि भूमि में हक, कब्जा व काश्त नहीं होने कोई अधिकार नहीं होने से बंटवारे का कोई अधिकार नहीं रखता है।
–प्रतिवादी

4. अन्य दादरसी

दिनांक 06.05.2015 को वादी की ओर से फर्द दस्तावेज नामान्तरकरण पंजिका 49, 8, 43, 94, 115, 124, जमाबन्दी (खेवट खतोनी) संख्या 2026 से 2029 तक, जमाबन्दी (खेवट खतोनी) 2030 से 2033 तक, जमाबन्दी संवत 2046 से 2049, जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 तक पेश किये।

मुख्य परीक्षण शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत मानेंग पिता दलहेंग कटारा, जाति भील उम्र 70 निवासी मेदिया कटारा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा (राज.), हुरतेंग पिता श्री राजेंग सारेल जाति भील उम्र 65 वर्ष निवासी घोडा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा (राज.), बारजी पिता हेमा कटारा जाति भील उम्र 70 वर्ष निवासी धोडा तहसील आबांपुरा जिला बांसवाड़ा (राज.), मंगला पिता वाहलेंग जाति भील उम्र 70 वर्ष निवासी मेदिया कटारा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा (राज.) ने दिनांक 06.05.2015 प्रस्तुत किये है। जिसमें लिखित कथन किये कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को व्यक्तिगत रूप से जानता व पहचानता हुँ वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी और काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 8, 34, 44, 56, 62, 71, 88, 99, 104, 127/66 कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम मेदिया कटारा, पटवार हल्का वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान स्थित में वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 संयुक्त रूप से काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे। उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में वादी का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत का 1/2 भाग निहित है, जिसकी पुष्टि नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 से होती है जिसमें मूल पुरूष नानीया की दो संताने वेलजी व हालु थी तथा वेलजी के फौत होने पर दला व दला के फौत होने पर दला की संतान ईश्वर है तथा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

हालु के फौत होने पर धुलिया तथा धुलिया के फौत होने पर धुलिया की संतान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रतिवादी संख्या 4 के पति मानजी तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के नाम धुलिया जीवित संताने होकर वारिसान है अपने हक, हित व हिस्से के अनुसार संयुक्त रूप से काबीज होकर काश्त कर लगान अदा कर रहे है। उक्त सम्पूर्ण खाते में से 1/2 हिस्से के भाग में सुधार नहीं कर पा रहा है और न ही रूपान्तरण करवा पा रहा है। अतः वादी अपने भाग का खाता पृथक पृथक करने हेतु निवेदन करने पर वह बंटवारा करने से मना कर रहे है एवं न्यायालय से करा लो, जिस कारण यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है। वादी को 1/2 हिस्से की भूमि के विभाजन की डिक्री सादर फरमाकर पृथक पृथक खाता कायम कर लगान का विभाजन करने हेतु प्रतिवादी संख्या 9 को डिक्री जारी की जावे।

मुख्य परीक्षण शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत ईश्वर पुत्र दला कटारा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मेदिया कटारा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा (राज.) ने दिनांक 06.05.2015 प्रस्तुत किया है। जिसमें लिखित कथन किया कि मुझ वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 संयुक्त रूप से काबीज होकर करते आ रहे है। शेष लिखित बयान में इनकी ओर से प्रस्तुत गवाहो के बयानों को दोहराया है।

दिनांक 01.07.2015 को ईश्वर पिता दला कटारा कौम भील उम्र 50 वर्ष पेशी खेती निवासी मेदिया कटारा के बयान दर्ज किये गये। सशपथ बयान में बताया कि मैने दिनांक 10.2.2015 को साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया है। वाद–पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 प्रदर्श–4, नामान्तरण संख्या 49 प्रदर्श–5 नामान्तरण संख्या 8 प्रदर्श–6, नामान्तरण संख्या 43 प्रदर्श–7, नामान्तरण संख्या 94 प्रदर्श–8, नामान्तरण संख्या 115 प्रदर्श–9, नामान्तरण संख्या 124 प्रदर्श–10 पेश किये है। इन्होने जिरह में बयान किया किया कि प्रतिवादीगण मेरे को खेत की जुताई नही करने देते है। अज खुद कहा कि आधी जमीन में कमा रहा हुँ। खेत के किस सर्वे नम्बर पर कमा रहा हूँ उसके नम्बर मुझै याद नही है। यह बात सही है कि धुलीया व दला वेलजी के पुत्र नही है। वाद के पेरा नम्बर 2 की वंशावली में वेलजी के दो पुत्र धुलिया व दला बताये है जो गलत है। यह बात सही है कि धुलिया हाला का पुत्री है। वादग्रस्त भूमि के सर्वे नम्बर मुझै पता नही है इसके दस्तावेज पेश किये है। धुलिया व दला अलग–अलग बाप के लड़के है। ईन खेतों को लेकर पिछले 5–10 वर्षो से लड़ाई चल रही है। धुलिया के लड़के कहते है कि पुरी जमीन पर हम काश्त करेगें यह बात सही है कि सम्पूर्ण जमीन पूर्व में धुलिया के पिता के नाम दर्ज हो। यह मुझै मालुम नही है कि सेटलमेन्टी खाता हाला पिता नानीया का था। अज खुद कहा कि हाला व वेलजी दोनों भाई है। यह जमीन हाला ने निकाली हो तो मुझै मालुम नही है। यह बात सही है कि वेलजी हाला के भाई होने से हम हिस्सा मांग रहे है। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर धुलिया के वारिसान काश्त करते हो बल्कि आधी भूमि पर हम काश्त करते है। हाला बड़ा है या वेलजी बड़ा है यह मुझै मालुम नही है। यह बात गलत है कि आधे हिस्से में मेरा नाम गलत दर्ज हुआ है। पुनः परीक्षण शून्य।

दिनांक 31.07.2015 को मंगला पिता वालेंग कटारा कौम भील उम्र 80 वर्ष पेशी खेती निवासी मेदिया कटारा के बयान दर्ज किये गये। सशपथ बयान में बताया कि मैने साक्ष्य का शपथ–पत्र दिनांक 10.2.2015 को पेश किया है, जो सही है। यह

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

दावा कितने खेतो का है मुझै पता नही। धुलिया व दला वेलजी के लड़के नही है। अज खुद कहा कि वेलजी का एक लड़का ईश्वर है। दोनों पक्षों में जमीन का विवाद है। वादग्रस्त भूमि के सर्वे नम्बर मुझै मालुम नही है। प्रतिवादीगण पुरी जमीन पर कब्जा करके बैठे है। यह कहना गलत है कि सेटलमेन्टी खाता हाला पिता नानीया के नाम था। अज खुद कहा कि नानीया के नाम का था। नानीया के चार लड़के क्रमशः कालु, हालु, वेलजी, वालेंग थे। मै वालेंग का लडका हूँ व वालेंग का पिता नानीया था। धुलिया हाला का लडका था। प्रतिवादीगण धुलिया के लडके है। दला–नानीया का लडका नही होकर वेलजी का लडका है। दला व धुला चचेरे भाई है। एक बाप के पुत्र नही है।

दिनांक 31.07.2015 को मानेंग पिता दला कटारा कौम भील उम्र 70 वर्ष पेशी खेती निवासी मेदिया कटारा के बयान दर्ज किये गये। सशपथ बयान में बताया कि मैने साक्ष्य का शपथ–पत्र दिनांक 10.2.2015 को पेश किया है, जो सही है। कितने खेतों को झगडा है मुझै मालुम नही है। अज खुद कहा कि वेलजी का एक लडका ईश्वर है। यह बात सही है कि दोनों पक्षों में जमीन का विवाद है। यह बात सही है कि प्रतिवादीगण ईश्वर को हिस्सा नही देते है इसलिए विवाद हुआ है। थोडी जमीन वादी कमा रहा है। बल्कि जमीन पर प्रतिवादी का कब्जा है। यह बात सही है कि वादग्रस्त भूमि हालिया पिता नानीया के सेटलमेन्टी खाते की है। यह बात सही है कि धुलिया का पिता हाला है। प्रतिवादीगण स्व. धुलिया के लडके है यह बात सही है। यह सही है कि दला–धुलिया का भाई है।

हुरजी पिता मनजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी गॉव आटलीसर तहसील बांसवाडा जिला बांसवाड़ा राजस्थान, बादरू पिता देवा जाति भील उम्र वयस्क निवासी गांव डाबडीमाल तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान, प्रभु पिता भेरूजी जाति भील उम्र वयस्क, निवासी गॉव गढ़ी कटारा तहसील सैलाना जिला रतलाम मध्यप्रदेश, कैला पिता धुलिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी मेदिया कटारा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा, सुर्या पिता मानजी जाति भील उम्र वयस्क, निवासी मेदिया कटारा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान ने दिनांक 21.1.2016 को सशपथ लिखित बयान पेश किये है। छगनलाल पिता श्री दारू जाति भील उम्र वयस्क, निवासी गांव रामगर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा ने दिनांक 18.02.2021 को ससपथ लिखित बयान पेश किये। बयानों में बताया कि विवादग्रस्त खेतों एक मात्र खातेदार प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ है। वादी का उपरोक्त खेतों में कोई हक, अधिकार नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त खाते की नही है बल्कि प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ एक मात्र उक्त खाते के मालिक है। नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 अवैधानिक होने गलत है क्यों कि वेलजी का एक मात्र संतान दला है तथा वादी दला का पुत्र है। धुलिया वेलजी का पुत्र नही होकर हाला पिता नानिया का पुत्र है। वादी द्वारा जो वंशावली वाद–पत्र की कलम नंबर दो में बतायी है वह गलत है। वादी द्वारा दर्शायी गयी वंशावली गलत है ओर वादी ने गलत वंशावली के आधार पर उक्त खाते में जरिये नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 को अपना नाम दर्ज करवाया है जो कि, गैर कानूनी है। वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ के कब्जे में होकर उस पर काबीज होकर काश्त करते हुए आ रहे है। वादी द्वारा उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नही की है इसलिए वादी उक्त खाते में बंटवारा कराने का कोई अधिकार नही रखते है। सम्पूर्ण खाता प्रतिवादीगण के दादा एवं पिता हाला पिता नानीया का पैतृक है। वेलजी का उक्त खाते

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

में कोई हक, अधिकार नही है ओर न ही धुलिया वेलजी का पुत्र है। धुलिया के पिता का नाम हाला है और हाला का एक मात्र पुत्र धुलिया था।

वादग्रस्त कृषिभूमि प्रतिवादीगण पिता एवं दादा हाला पिता नानीया का है जब कि, वादी द्वारा वाद–पत्र में दर्शायी गई वंशावली के अनुसार धुलिया व दला नही होकर वेलजी का एक मात्र पुत्र दला है एवं वादी उसका पुत्र है। धुलिया के पिता का नाम हाला पिता नानीया है तथा प्रतिवादीगण नंबर एक से आठ धुलिया पिता हाला की संताने है तथा सेटलमेन्टी खाता भी हाला पिता नानीया का है। उक्त खाते में दला पिता वेलजी का कोई हक, अधिकार नही है दला पिता वेलजी का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण एवं वादी अलग–अलग वंशज के है ओर उसका कोई रक्त संबध नही है। इसलिये उक्त खाते में वादी का कोई हक, अधिकार नही है और वादी को बंटवारा लाने का कोई अधिकार नही है तथा खाते में गलत रूप से दर्ज किया गया वादी का नाम हटा दिया जावे। प्रतिवादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि में कई वर्षो से मकान बने हुए है और प्रतिवादीगण अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है इसलिये प्रतिवादी नंकर एक से आठ ही उक्त खाते के खातेदारी का अधिकार रखते है। वादी को उक्त खाते में गलत नाम दर्ज किया गया है। और नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 गैर क़ानूनी होकर काबील खारजी है।

बयान गवाह प्रभु पिता भेरू कटारा कौम भील उम्र 48 वर्ष पेशा खेती निवासी गढ़ी कटारा खुर्द (सेलाना) मध्य प्रदेश ने सशपथ बयान किये कि मैने साक्ष्य का शपथ पत्र दिनांक 21.1.16 का पेश किया है। जो सही व सत्य है। जिरह वादी अभिभाषक द्वारा की गई। जिरह में बताया कि यह बात सही है कि नानीया वादी व प्रतिवादी का परदादा था। यह बात सही है कि वादी व प्रतिवादीगण चचेरे भाई है। मेरी कृषि भूमि सेलाना में है। यह बात गलत है कि ग्राम मेन्दीया कटारा की वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते हो। बल्कि धुलिया के पुत्र प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण कुल 10 खेत की कुल 37 बीघा भूमि पर काश्त कर रहे है यह बात सही है कि शपथ–पत्र पर मैने पढ़ कर हस्ताक्षर किये है। यह बात सही है कि बयान दर्ज कराने मुझै प्रतिवादीगण ने कहा है। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि में ईश्वर का मकान बना हुआ है। यह बात सही है कि मानजी के तीन पुत्र है। प्रतिवादीगण प्रभु वगैराह मेरे चचेरे भाई है। यह बात सही है कि प्रतिवादीगण मेरे चचेरे भाई होने के कारण में वादी का कब्जा नही होना बता रहा हूँ।

बयान गवाह बादरू पता देवा डिण्डोर कौम भील उम्र 43 वर्ष पेशा खेती डाबरीमाल ने सशपथ बयान किये कि मैने साक्ष्य का शपथ पत्र दिनांक 21.1.16 का पेश किया है। जो सही व सत्य है। जिरह वादी अभिभाषक द्वारा की गई। जिरह में बताया कि यह बात सही है कि प्रतिवादीगण मेरे रिश्ते में मामा लगते है। मे यह नही बता सकता हूँ कि नानीया के लडके हाला उर्फ हालु व वेलजी हो। ईश्वर किसका लड़का है मुझै मालुम नही है। प्रतिवादीगण के परदादा हालु हो तो मुझै पता नही। अज खुद कहा कि हालु का पुत्र धुलिया व धुलिया के पुत्र प्रतिवादीगण है। यह बात गलत है कि हालु व वेलजी दोनो भाई थे। हालु के बाप का नाम नानीया हो तो मुझै नही मालुम। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि को आधे हिस्से में ईश्वर काश्त करता हो। यह मे नही बता सकता कि ईश्वर खातेदार होने के कारण फसल खराब की आधी राशि ले रहा है। वादग्रस्त भूमि के नम्बर मुझे पता नही है। यह बात सही है कि शपथ पत्र में कौन से खसरा नम्बर लिखे है मुझै पता नही। यह बात गलत है कि प्रतिवादीगण मेरे रिश्तेदार होने के कारण में उनके पक्ष में गलत बयान दे रहा हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

दिनांक 03.03.2021 को गवाह सूर्या पिता मानजी जाति भील निवासी मेदिया कटारा तहसील आंबापुरा ने बयान में बताया कि मैने दिनांक 21.1.2016 को शपथ पत्र पेश किया। जो सही एवं सत्य है। जिरह वादी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह झूला द्वारा की गई। जिरह में बताया कि मेरे पिता का नाम मानजी है। मानजी के पिता का नाम धुलिया है। धुलिया के पिता का नाम हाला है। हाला के पिता का नाम मुझै मालुम नही। हाला के कोई भाई नही थे। हाला अकेला था। मैं मात्र साक्षर हूँ। यह कहना सही है कि दिनांक 06.04.2015 को प्रस्तुत किया गया जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 में दर्शाई गई वंशावली सही एवं सत्य है। हमारी ग्राम पंचायत वीरपुर लगती है। ग्राम पंचायत वीरपुर आंबापुरा के सरपंच द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में दर्शाई गई बात मानजी की तीन पुत्र कचरू, सूर्या, विकास पत्नी भूली लिखा जो सही लिखा है। उक्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में मानजी के अलावा उसके चार भाई प्रभु रावजी केला व हीरा है। ये पोचों धुलिया के पुत्र होकर हाला के पौते है। हाला ओर वेलजी दो भाई हो वह गलत है। दिनांक 06.04.2015 को प्रस्तुत जवाब में दर्शाई गई नानिया की वंशावली के बारे में मुझै पता नही। यह कहना गलत है कि ईश्वर व धुलिया पुत्र संयुक्त रूप से कमा रहे हो अज खुद कहा कि धुलिया के पुत्र कमा रहे हो। हमारे द्वारा वाद पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। मुझै यह पता नही कि ईश्वर का नाम इस खाते में चल रहा हो। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि में ईश्वर का मकान बना हो। ईश्वर का मकान बना हो उसमें विद्युत कनेक्शन लगा हो मुझे पता नही। ईश्वर का नाम मेदिया कटारा की मतदाता सूची में नाम हो पता नही। पुन परीक्षण शून्य।

दिनांक 03.03.2021 को गवाह छगनलाल पिता दारू जाति भील निवासी रामगढ़ तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा ने बयान में बताया कि मैने दिनांक 18.2.2016 को शपथ पत्र पेश किया। जो सही एवं सत्य है। जिरह वादी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह झूला द्वारा की गई। जिरह में बताया कि मैने लालपुरा में शादी करी है। लालपुरा बाजना तहसील में है। रामगढ़ व मेदिया कटारा डेढ किमी दुरी पर है। यह कहना सही है कि रामगढ व मेदिया कटारा की सीमा एक दुसरे से टच है। प्रतिवादीगण मेरे रिश्तेदार नही है। जान पहचान है। वादी ईश्वर को नही जानता हूँ। प्रतिवादीगण के दादाजी का नाम धुलिया है। धुलिया के पिता का नाम मै नही जानता हुँ। यह कहना गलत है कि नामान्तरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 (प्रदर्श–9) में ईश्वर पिता दला का नाम नही है। मै कम पढा लिखा हुँ प्रदर्श–9 में क्या लिखा मुझै मालुम नही है। शपथ पत्र में नामान्तकरण 115 दिनांक 27.01.2007 कैसे लिखा मुझै मालुम नही। शपथ पत्र में पैरा संख्या 4 कैसे लिखा मुझै पता नही मै नही जानता। खसरा संख्या 34, 44, 56, 62 में कुल कितना रकबा मुझै नही पता। अज खुद कहा कि कुल 38 बीघा जमीन है, 10 खेत है। धुलजी के पांच बेटे थे जिसमें से मानजी मर गया। मानजी के लडके का नाम सूर्या, कचरू, विकास, मनजी की पत्नी भूली है। मंगला ओर भेरू धुलिया के काका के लडके हो मुझै पता नही। नानिया के चार लडके हो मुझै मालुम नही। धुलिया के बाप का नाम हालु है। हालु, वेलजी, वालेग, ओर कालु चार भाई हो मै नही जानता। हालु, वेलजी, वालेग और कालु चार भाई हो मै नही जानता। हालु नानिया का लडका हो मै नही जानता। उस पीढी को मैं नही जानता। पुनः परीक्षण शून्य।

दिनांक 20.06.2014 को वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश हुआ। जिसका प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दिनांक 06.04.2015 को पेश हुआ। प्रार्थना पत्र एवं जवाब का अवलोकन किया पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ को सुना गया। प्रार्थी ने अपने कथन में बताया कि वाद प्रारम्भिक स्टेज पर है संशोधन से वाद पर विपरीत

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

असर नही पड़ता है। वाद में उक्त संशोधन करने के आदेश फरमावे। प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दलाल पुरोहित ने अपने कथन में जवाब के बिन्दुओं को दोहराया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस के दौरान कथनों पर अवलोकन एवं मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने समय पर अपना प्रार्थना पत्र वाद में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण ने जवाब तो प्रस्तुत किया किन्तु जवाब के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में तय करता हूँ। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं

चूंकि वाद एवं काउन्टर क्लेम पर तनकीयात कायम के आदेश हो चुके है। अतः वाद एवं काउन्टर क्लेम पर एक साथ निर्णय किया जाना है। अतः दिनांक 27.07.2021 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। वादी विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह झुला ने अपने कथन में वाद पत्र एवं गवाहो के शपथ पत्रों को दोहराया। वादी एवं प्रतिवादीगण को संयुक्त परिवार का होना बताया जाकर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना बताया। वादग्रस्त भूमि का मूल पुरूष नानीया का होना बताया। नानीया के दो पुत्र वेलजी (फौत) एवं हालु (फौत) को बतायां वेलजी (फौत) के एक पुत्र दला (फौत) एवं दला फौत के ईश्वर को पुत्र बताया। नानीया के दुसरे पुत्र हालु (फौत) को बताया हालु (फौत) का पुत्र धुलिया (फौत) को बताया एवं धुलिया (फौत) के मानजी (फोत), प्रभु, रावजी, केला, मीरा को बताया एवं मानजी फौत के पुत्रों में कचरू, सुर्या, विकास, भुली बेवा को बताया गया। इस अनुसार भूमि पैतृक होना बताया। पैतृक भूमि के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 प्रदर्श–2 में खातेदार धुलिया पिता हाला 1/2 व दला पिता वेलजी 1/2 बहि बराबर होना बताया, जमाबन्दी संवत 2046–2049 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 प्रदर्श–4 में मनजी, प्रभु, रावजी, केला मेरा पिता धुलिया मु. लक्ष्मी बेवा धुलिया 1/2 ईश्वर पिता दला 1/2 भील सा0देह खातेदार, होना बताया। नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 07.06.89 प्रदर्श–5 में धुलिया पिता हाल 1/2 ईश्वर पिता दला 1/2 भील सा. देह खाते हि.ब. दर्ज होना बताया इसमें धुलिया 1 वर्ष पूर्व फौत होने से उसके परिवार मनजी, प्रभु, रावजी, केला, मेरा पिता धुलिया मु. लक्ष्मी बेवा धुलिया 1/2 ईश्वर पिता दला भील सा.देह खाते हि.ब. दर्ज है। यह नामान्तरकरण राजस्व केम्प बोरीया में खोला गया जिसमें सरपंच बोरिया ने कॉलम नम्बर 9 की पुष्टि होना दर्शाया गया। नामान्तकरण संख्या 8 दिनांक 29.05.58 प्रदर्श 6 के कॉलम संख्या 11 में धुलीया व0 हाला भील 2/3 दला वल्द वेलजी भील 2/3 हिस्सा शामलाती दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 43 दिनांक 11.6.83 प्रदर्श–7 के कॉलम संख्या 11 में धुलिया पिता हाला 1/2 व ईश्वर पिता दला भील सा. दे. 1/2 व हि. बराबर का अंकन है। नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 07.1.2002 प्रदर्श 8 के कॉलम संख्या 7 में मानजी प्रभू रावजी केला मिरा पिता धुलीया 1/2 ईश्वर पिता दला 1/2 भील सा. देह खातेदार एवं कॉलम संख्या 9 में मानजी की मृत्यू होने से कचरू सूर्या विकास पिता मानजी भूली बेवा मानजी भील शेष बदस्तुर खाते0 का अंकन है। नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 प्रदर्श–9 के कॉलम 9 में कचरू सूर्या विकास पिता मानजी भूली बेवा मानजी प्रभु रावजी केला मीरा पिता धुलीया 1/2 ईश्वर पिता दला 1/2 भील सा देह खाते का अंकन है। इस म्यूटेशन की स्वीकृति सरपंच ग्राम पंचायत वीरपुर द्वारा प्र0स0 8 के अनुसार स्वीकृत किया गया है। नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 28.12.2009 प्रदर्श 10 के कॉलम संख्या 9 में कचरू सूर्या विकास पिता मानजी भूली बेवा मानजी प्रभू रावजी केला मीरा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

पिता धूलिया 1/2 ईश्वर पिता दला 1/2 भील सा.दे. खाते रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा आंबापुरा (हिस्सा 1/2 ईश्वर/दला का) अंकन है। इस प्रकार समस्त नामान्तरकरणों एवं जमाबन्दीयों अर्थात राजस्व दस्तावेजो से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि वाद ग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। ईश्वर पिता दला कटारा वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा का रेकार्डेड खातेदार है। भूमि का विकास हेतु बटवारा किये जाने की डिक्री फरमावे। गवाहो ने भी अपनी जिरह में दोनो पक्षों में जमीन का विवाद होना, वेलजी को नानीया का लडका एव दला व धुला को चचेरे भाई होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण के गवाहो ने नानीया वादी व प्रतिवादी का पर दादा होना, आपस में चचेरे भाई होना जाहिर किया है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दलाल पुरोहित अपने कथन में जवाब दावा एवं गवाहो के शपथ पत्रों को दोहराया एवं बताया कि वादी को ग्राम गढ़ी कटारा कला तहसील बाजना जिला रतलाम (म.प्र.) का निवासी होना बताया। निवास होने समर्थन में वर्ष 2012–2013 की किश्तबन्दी खतौनी व खसरा पेश किया है। जिसमें ईश्वर पिता दला के नाम का अंकन है। प्रतिवादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर काश्त करना बताया है। वादी को बटवारे का हक व अधिकार नही मिलना चाहिये।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक गणों की बहस पर मनन एवं पत्रावली में वाद पत्र, जवाब दावा, शपथ पत्रों एवं सलग्न दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया तो पाया कि वादग्रस्त भूमि के जमाबन्दी संवत 2026–29, 2030–33, 2046–49, 2050–53 में वादी द्वारा प्रस्तुत वंशावली का सत्यापन होकर वादी ईश्वर पिता दला 1/2 भाग का रेकार्डेड खातेदार है। नामान्तकरण संख्या 49, 8, 43, 94, 115, 124 से भी वादी द्वारा प्रस्तुत वंशावली का सत्यापन होकर वादी ईश्वर पिता दला 1/2 भाग का रेकार्डेड खातेदार होना जाहिर हुआ है। जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 एवं संवत 2050 से 2053 में ईश्वर पिता दला 1/2 भील साकिन देह खातेदार कृषक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जो कानूनी एवं विधिवत दर्ज हुई है। विवादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी भूमि भी होना जाहिर है। प्रतिवादीगण वादी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारी पर एवं पैतृक हाने बाबत कोई खंडन नही कर पाये है। केवल अन्य राज्य में वादी की भूमि होना बताया गया। जो कि वादी को राजस्व रेकार्डेड खातेदारी होने एवं पैतृक होने के खंडन हेतु पर्याप्त साक्ष्य नही है। अतः प्रथम दृष्टया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार गवाहो के बयानो एवं राजस्व दस्तावेजों में खातेदार अंकन होने से वादी वादपत्र को स्पष्ट साबित करने में सफल होने से वाद पत्र में कायम तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

चूंकि तनकी संख्या 1 में वादी ने वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकार्डेड खातेदार होना साबित करने में सफल रहे है। इससे वादी का हक हकुको का निर्धारण तय हुआ है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होना भी साबित करने में वादी सफल रहे है। प्रतिवादीगण भी वादग्रस्त भूमि रेकाडेर्ड खातेदार है। अतः यह तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णीत की गई है। तनकी संख्या 3 में नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 मे वादी का नाम दर्ज होना गैर कानूनी बताया जाकर खारीज है। जबकि नामान्तकरण संख्या 49 दिनांक 07.06.89, 43 दिनांक 11.1.83, 15 दिनांक 7.1.2002, 115 दिनांक 27.01.2007, 124 दिनांक 23.12.2009 एवं विभिन्न जमाबन्दीयों में वादी का नाम निरन्तर दर्ज होना जाहिर हुआ है। अतः नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 27.01.2007 में वादी का नाम विधि सम्मत दर्ज हुआ है। जो गैर कानूनी नही होकर काबील खारीज नही है। अतः वादी वादग्रस्त भूमि में 1/2 भाग का रेकार्डेड खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
झांसदाडा (राज.)

होने से बंटवारा का अधिकार जाहिज है। तनकी संख्या 3 को साबित करने में वादी सफल रहे ह। अतः तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। उक्त तीनो तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत होने से वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक के संयुक्त के संयुक्त खातेदारी और काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 2 नया, 2 पुराना के खसरा संख्या 8 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 5.09 बीघा, खसरा संख्या 44 रकबा 5.16 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 3.06 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 10.02 बीघा, खसरा संख्या 71 रकबा 3.01 बीघा, खसरा संख्या 88 रकबा 1.02 बीघा, खसरा संख्या 89 रकबा 1.15 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 1. 17 बीघा, खसरा संख्या 127/66 रकबा 3.06 बीघा कुल खसरा नग 10, कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा, वाके ग्राम मेन्दिया कटारा, पटवार हल्का वीरपुर, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक में 1/2–1/2 हिस्से अनुसार तहसीलदार तहसील आंबापुरा बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

आज वास्त इनफिसाल कतई रूबरू वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.08.2021 को सुनाया जाता है।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)